झारखंड में बच्चों पर कोविड-19 का प्रभाव

A. पृष्ठभूमि

कोविड-19 महामारी विश्व में अप्रत्याशित संकट और उससे निपटने की चुनौतियाँ लेकर आया।| दुनिया भर में इस महामारी ने जीवन की गति धीमी कर दी। बच्चों के जीवन पर इस महामारी की असर काफी रही जिसकी वजह से उनके जीवन में सुरक्षा और शिक्षा के अधिकारों के लिए भारी चुनौती खड़ी हो गयी है। इसी संदर्भ में टाटा ट्रस्ट ने काउन्सिल फ़ॉर सोशल डेवलपमेंट (CSD) को जो अध्ययन का कार्य सौंपा है उसके तहत झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बच्चों के जीवन और उनकी शिक्षा पर देश में जारी इस महामारी के असर का अध्ययन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्र की गयी जानकारियों के आधार पर इस अध्ययन में ऐसी लघु और दीर्घकालिक समाधानों की रूपरेखा तैयार करने का सुझाव दिया गया है ताकि महामारी के बाद बच्चे पुन: पूरे आत्मविश्वास और सफलतापूर्वक स्कूल जाना शुरू कर सकें।

झारखंड में इस बारे में खूँटी और खूँटी जिले के मुरहू ब्लॉक में और लोहरदगा ज़िले के लोहरदगा ब्लॉक में प्राथमिक सर्वेक्षण का काम 2022 के मध्य में पूरा किया गया। सर्वेक्षण कार्यक्रम, विशेष समूह चर्चा (एफजीडी), और खुले साक्षात्कारों के माध्यम से 300 अभिभावकों, 300 बच्चों, 30 शिक्षकों, 30 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, चार स्कूलों और दूसरे हितधारकों जैसे सरकारी अधिकारियों, ग़ैर-सरकारी संगठनों (NGOs), स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) के सदस्यों और पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से सूचनाएँ इकट्ठा की गयीं। इस अध्ययन की मुख्य बातों की चर्चा हम इस पॉलिसी ब्रीफ़ में कर रहे हैं।

B. मुख्य निष्कर्ष

I. *परिवार और बच्चों पर महामारी का प्रभाव*

- *सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:* मुरहू के अधिकांश अभिभावक खेती जैसे स्वरोज़गार में लगे हैं, जबकि खूँटी और लोहरदगा में अधिकांश अभिभावक दिहाड़ी मज़दूर हैं। जिस समय उनको अपने गाँवों और क़स्बों में काम नहीं होता, वे घरेलू कार्य और भवन निर्माण आदि का काम करने कि लिए राँची चले जाते हैं। 10 में से 9 अभिभावकों ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में उनकी आजीविका में प्रतिकूल प्रभाव के कारण से एक-तिहाई लोग इस अवधि में बेरोज़गार हो गए। फ़रवरी-मार्च 2022 के आसपास धीरे-धीरे स्थिति सुधरने लगी। पर परिवारों की आय में भारी कमी आयी।
- *बच्चों पर प्रभाव:* परिवारों को जो विपरीत परिस्थितियाँ झेलनी पड़ी उसका नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर पड़ा और जिन परिवारों की आजीविका छिन गयी उनके बच्चों में स्कूल ड्रॉप आउट के 18 मामले सामने आए। 11 बच्चों ने तो इसलिए स्कूल छोड़ दिए ताकि वे अपने परिवारों के लिए कुछ पैसे कमा सकें। शेष बच्चों ने अपने परिवार में अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल और घर का काम करने के लिए स्कूल जाना बंद कर दिया। लगभग 60 प्रतिशत ने बताया कि जब स्कूल बंद थे तब उनके बच्चे उनके साथ काम पर जाते थे और आलू की खेती, जानवरों की देखभाल, मुर्गी पालने जैसे कार्यों में हाथ बँटाते थे।
- *जेंडर का अंतर:* लड़कों और लड़कियों द्वारा किए गए कार्यों में लिंग भूमिका में अंतर देखा गया। लड़कों (25 प्रतिशत) का अनुपात में लड़कियों (15 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है और वो आय-सृजन गतिविधियों में लगे हुए थे। लड़कियां घरेलू कामों में लगी हुई थीं।
- *बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण:* बच्चों के ज़्यादा खाना खाने की बात सबसे ज़्यादा लोहरदगा में (51 प्रतिशत) बतायी गयी और यहाँ कुपोषण समास्या नहीं थी क्योंकि अधिकांश अभिभावक खेती में लगे थे और भोजन की उपलब्धता उनके लिए मुद्दा नहीं था। हालाँकि, छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी से पोषक आहारों की आपूर्ति की बात आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) ने बतायी पर सिर्फ 5 प्रतिशत अभिभावकों ने ऐसे आहार मिलने की बात कही। इसी तरह, जब स्कूल बंद थे तब स्कूलों ने सूखे राशन के रूप में मध्याह्न भोजन (MDM) भी उपलब्ध कराया और लगभग 65 प्रतिशत अभिभावकों ने घर ले जाने वाले राशन (THR) के नियमित रूप से मिलने की बात कही।
- *बच्चों की देखभाल:* 50 प्रतिशत अभिभावकों ने बच्चों में तनाव और चिंताएँ बढ़ने की बात बतायी जबकि एक-तिहाई अभिभावक बच्चों में शारीरिक गतिविधियों के कम होने पर चिंतित थे। खूँटी में 17 प्रतिशत अभिभावकों ने सामाजिक संपर्कों में कमी की बात बतायी जबकि मुरहू में 16 प्रतिशत ने बच्चों की नींद बिगड़ने की बात कही। बच्चों के स्वास्थ्य पर इस तरह के नकारात्मक प्रभावों के बावजूद, 70 प्रतिशत ने माना कि स्कूल के बंद रहने के दौरान बच्चों के साथ उनका जुड़ाव बढ़ा और उन्होंने अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताया।

- *बच्चों की सुरक्षा :* खूँटी ज़िला के क़रीब 10 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि स्कूल बंद रहने के दौरान उनके कई दोस्तों और साथ पढ़नेवालों की शादी कर दी गयी। अभिभावकों के साथ FGD के दौरान पता चला कि जीवन और वित्त की असुरक्षा में जो बढ़ोतरी हुई उसकी वजह से महामारी के दौरान बाल विवाह की घटनाएँ बढ़ गयी।

II. बच्चों की शिक्षा पर महामारी का प्रभाव

1. स्कूल बंदी के दौरान शिक्षा

- *स्कूल बंदी का प्रभाव:* कोविड महामारी के कारण मार्च 2020 से सितंबर 2021 तक, लगभग 18 महीने स्कूल बंद रहे जिसके कारण बच्चों की शिक्षा, अनुशासन और उनकी दिनचर्या बहुत प्रभावित हुई। 65 प्रतिशत से अधिक अभिभावकों ने माना कि स्कूल बंद रहने के कारण उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई। घरों पर कई तरह के भटकाव, घर के काम और कोई निगरानी नहीं होने के कारण उनकी शिक्षा प्रभावित हुई।
- *स्कूल के बुनियादी ढाँचे में व्यवधान :* खूँटी के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों में कोई चारदीवारी और दरवाज़े नहीं थे। क़रीब 35 प्रतिशत अभिभावकों ने महामारी के बाद स्कूल के बुनियादी ढाँचे- जैसे, स्कूलों के शौचालयों में पानी नहीं होना, स्कूल भवन और कक्षाओं का जर्जर होने पर चिंता जतायी।
- *शिक्षकों की कमी:* जिन सरकारी स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया वहाँ प्रधान शिक्षकों ने शिक्षकों की कमी को बहुत बड़ी समस्या बताया। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों ने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वयंसेवकों के रूप में स्थानीय युवाओं की सेवाएँ ली।
- *स्कूल बंदी के दौरान शिक्षकों की गतिविधियाँ:* जब महामारी अपने चरम पर था, उस दौरान एक-तिहाई शिक्षकों को कोविड-19 टीकाकरण अभियान, राशन वितरण संबंधी गतिविधियों और सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे कार्यों में लगाया गया था। लगभग 70 प्रतिशत शिक्षकों ने यूट्यूब और व्हाट्सऐप के माध्यम से बच्चों के साथ शैक्षिक सामग्री और गतिविधियाँ साझा करने की बात कही। 20 प्रतिशत शिक्षक अपने छात्रों की शिक्षा की स्थिति जानने के लिए उनके घर गए। शिक्षकों ने इस बात की पुष्टि भी की कि उन्होंने ई-विद्यावाहिनी ऐप पर बच्चों की उपस्थिति अपलोड की जो कि मध्यान्ह भोजन की आवश्यकता और छात्रों को मध्यान्ह भोजन वितरण के लिए जरूरी था।
- *शिक्षकों का क्षमता संवर्धन:* सर्वेक्षण में शामिल कुल शिक्षकों के 50 प्रतिशत शिक्षकों ने बताया कि उन्हें स्कूल के बंद रहने के दौरान किसी न किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें डिजिटल उपकरण का उपयोग, कोविड से निपटने और महामारी के दौरान बच्चों से संपर्क करने जैसी बातें शामिल थी ताकि बच्चों की शिक्षा में महामारी के कारण आनेवाली रिक्तिता को कम किया जा सके। CiNi-टाटा ट्रस्ट ने जो शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए उसमें भी शिक्षकों ने भाग लिया।

2. स्कूल बंदी के दौरान बच्चों में शिक्षा के स्तर में गिरावट

- *डिजिटल शिक्षा के माध्यम से बच्चों की शिक्षा:* सिर्फ 20 प्रतिशत बच्चों ने डिजिटल शिक्षा तक पहुँच होने की बात कही। टाटा ट्रस्ट की एक सहायक संस्था CiNi ने बच्चों को डिजिटल पहुंच की सुविधा प्रदान की। इसके तहत दस बच्चों के बीच एक टैबलेट दिया गया था ताकि उनको शैक्षिक सामग्री सुलभ हो सके। दो घंटे तक इसका प्रयोग करने के बाद यह टैबलेट बच्चों से वापस ले लिया जाता था। जिन बच्चों को डिजिटल उपकरण पहुंच उपलब्ध था, उनमें से 42 प्रतिशत ने लोहरदगा में बताया कि आमने-सामने की पढ़ाई से ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है। खूँटी में क़रीब 50 प्रतिशत छात्र इन दो माध्यमों को लेकर उदासीन थे। चूंकि, बच्चों के अभिभावक स्मार्ट फ़ोन का प्रयोग शायद ही करते थे, वे ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियों से निपटने में अपने बच्चों की मदद नहीं कर सकते थे। हालाँकि, पांच प्रतिशत ने मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताने और नुकसानदेह सामग्री देखने की बात भी बतायी। क़रीब 65 प्रतिशत अभिभावकों ने फोन और इंटरनेट पर ज़्यादा पैसे खर्च होने की बात बतायी, पर उन्होंने इसे ख़रीदा क्योंकि उन्हें यह लगा कि इससे उनके बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। शिक्षकों ने छात्रों के पास इन गैजेट्स के नहीं होने और बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं को समझने में आनेवाली समस्याओं को डिजिटल शिक्षा की बड़ी चुनौतियां बताया। 20 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों ने यह स्वीकार किया कि ऑनलाइन कक्षा चलाने के लिए उनके पास न तो डिजिटल उपकरण हैं और न ही इसके लिए जरूरी कौशल।
- *डिजिटल शिक्षा तक पहुँच के बिना बच्चों की पढ़ाई:* तीन-चौथाई बच्चों की डिजिटल शिक्षा तक पहुँच नहीं थी और इन बच्चों तक शिक्षा को सुलभ कराया CiNi-टाटा ट्रस्ट ने जिसने मोहल्ला कक्षायें, टैबलेट के साथ और इसके बिना भी छोटे-छोटे समूहों में बच्चों को पढ़ाने, स्वयंसेवकों को छात्रों के घर भेजने आदि जैसी व्यवस्था से इसे सफल बनाया। चार प्रतिशत बच्चों ने माना कि स्कूल के बंद रहने के दौरान उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की और 75 प्रतिशत बच्चों ने प्रतिदिन सिर्फ दो घंटे से भी कम की ही पढ़ाई की। कुल मिलाकर, लगभग 20 प्रतिशत बच्चों ने पढ़ाई पर ज़्यादा समय लगाया।
- *पढ़ाई पर समग्र प्रभाव:* आधारभूत साक्षरता को लेकर बच्चों की क्षमता में आयी कमी के प्रति अभिभावकों में क्षोभ था और बच्चों को बिना किसी परीक्षा के उत्तीर्ण कर दिए जाने की बात से वे चिंतित थे। औसतन, 30 प्रतिशत अभिभावक इस बात से चिंतित थे कि बच्चे साधारण वाक्य तक नहीं बना पाते और मुरहू में 35 प्रतिशत अपने बच्चों में मूल अंकगणना और पढ़ने की क्षमता में कमी आने पर निराश थे। लगभग 30 प्रतिशत ने बताया कि उनके बच्चे मूल अक्षर भी भूल गए हैं। सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन और ऑफ़लाइन प्रयासों को शुरू करने के बावजूद अपने बच्चों की शिक्षा के स्तर के बारे में अभिभावकों की राय नकारात्मक थी क्योंकि इन प्रयासों के बावजूद यह नियमित कक्षा से बच्चों को होनेवाले लाभों के बराबर नहीं था। सरकारी

स्कूलों में अपने बच्चों को भेजनेवाले 35 प्रतिशत से अधिक अभिभावकों ने बताया कि पढ़ाई में उनके बच्चों की दिलचस्पी ख़त्म हो गयी है। खूँटी और लोहरदगा के क़रीब 49 प्रतिशत अभिभावक अपने बच्चों के सीखने की गति में आयी कमी से चिंतित थे। दूसरी ओर, लगभग 90 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि जब वे स्कूल जा रहे थे तब उनके सीखने का अनुभव बेहतर था क्योंकि उन्हें शिक्षकों और दोस्तों आदि का सहयोग मिलता था जो घर पर रहने के दौरान उन्हें नहीं मिल रहा।

III. कोविड-19 से निपटने के कदम: मुख्य हितधारकों का हस्तक्षेप

- *सरकार के डिजिटल पहल:* DigiSATH, DIKSHA ऐप और ई-विद्यावाहिनी जैसे डिजिटल प्लैट्फ़ॉर्म्स के प्रयोग की बात शिक्षकों और सरकारी अधिकारियों ने कही। झारखंड सरकार ने भी ऑडियो-वीडियो सामग्री तैयार करने के लिए प्रथम और CiNi-टाटा ट्रस्ट के साथ सहयोग किया। 'हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय' टीवी चैनल का प्रयोग बच्चों तक शैक्षिक सामग्री पहुँचाने के लिए प्लैट्फ़ॉर्म के रूप में किया गया। शिक्षकों ने बताया कि बच्चों तक शैक्षिक सामग्री पहुँचाने के लिए उन्होंने व्हाट्सऐप का प्रयोग किया। यद्यपि अधिकारियों ने बताया कि बच्चों को सिखाने के लिए टीवी चैनलों और वेब पोर्टलों का प्रयोग उन तक सामग्री पहुँचाने के लिए किया गया, पर सिर्फ 20 प्रतिशत बच्चों ने शैक्षिक कार्यक्रमों को देखने के लिए इनके उपयोग की बात कही, जबकि 30 प्रतिशत ने बताया कि उन्होंने टेलिविज़न और फोन का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया। अभिभावकों ने भी शिक्षा के लिए टेलिविज़न के प्रयोग की बात शायद ही की जबकि खूँटी में सिर्फ आठ प्रतिशत अभिभावकों ने पाठों और कक्षा कार्यों के लिए व्हाट्सऐप के प्रयोग की बात कही।
- *सरकार की ऑफ़लाइन पहल :* शिक्षकों का बच्चों के घर जाना, मोहल्ला कक्षाएँ, समकक्षों से शैक्षिक सहयोग मिलना आदि जैसे ऑफ़लाइन कदम शिक्षकों ने उठाए। लोहरदगा में 66 प्रतिशत अभिभावकों ने स्वीकार किया कि उनके बच्चों ने मोहल्ला कक्षाओं का लाभ उठाया। सिर्फ 12 प्रतिशत ने ही शिक्षकों के छात्रों के घर जाने की बात कही। बाद में, जब स्कूलों को आंशिक तौर पर खोलने की अनुमति दी गयी तो बारी-बारी से शिक्षकों ने कक्षाओं में पढ़ाना शुरू किया और क़रीब 45 प्रतिशत अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चों ने ऐसी कक्षाओं का लाभ उठाया।
- *गैर-सरकारी संगठनों की पहल:* CiNi-टाटा ट्रस्ट ने सरकारी स्कूलों के मौजूदा पुस्तकालयों को मज़बूत करने में अपना योगदान दिया और दो तरह के पुस्तकालयों की स्थापना की – लघु पुस्तकालय और झोला पुस्तकालय। उन्होंने शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में प्रशिक्षित करने व्यवस्था की। बच्चों को कविताएँ, कहानियाँ, पज़ल्ज़, पहेलियाँ आदि लिखने के लिए उत्साहित किया। CiNi-टाटा ट्रस्ट के स्वयंसेवकों ने टोला या मोहल्ला समूह में पढ़ाया और वीडियो और गेम्स के रूप में डिजिटल सामग्री तैयार की और सरकार और समुदाय की सेवा के लिए डिजिटल कोष को समृद्ध किया। यद्यपि गैर-सरकारी संगठनों से मिली मदद की बात लोहरदगा में अभिभावकों ने नहीं बतायी, पर खूँटी और मुरहू में 40 प्रतिशत से अधिक अभिभावकों ने गैर-सरकारी संगठनों से शैक्षिक सामग्री और 36 प्रतिशत अभिभावकों ने टैबलेट मिलने की बात स्वीकार की। खूँटी में 29 प्रतिशत अभिभावकों ने सामुदायिक शिक्षा केन्द्र को लेकर गैर-सरकारी संगठनों के सक्रिय होने की बात स्वीकार की।
- *शिक्षक पहल:* सर्वेक्षण में शामिल कुल शिक्षकों में से लगभग 65 प्रतिशत ने बताया कि उन्होंने छात्रों के घरों का लगातार दौरा किया, जबकि 35 प्रतिशत ने कहा कि उन्होंने उनके घरों पर कॉल किया ताकि उन्हें पढ़ाई के लिए वापस स्कूल लाया जा सके। छात्रों को स्कूल वापस लाने के लिए क़रीब 25 प्रतिशत शिक्षक व्हाट्सऐप के माध्यम से बच्चों के संपर्क में थे।
- *अन्य हितधारकों की पहल:* पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने स्कूल भवनों, उसकी चारदीवारी के रख-रखाव, स्कूल का दरवाज़ा बनाने सरकारी स्कूलों में रसोई के लिए शेड बनाने में योगदान दिया जो कि पिछले दो साल से स्कूलों के बंद रहने के कारण जर्जर हो गए थे। दूसरी ओर, जिन ज़िलों का सर्वेक्षण किया गया उनमें SMCs ने स्कूलों में CiNi-टाटा ट्रस्ट के सहयोग से किचन गार्डन विकसित किया।
- *आंगनबाडी केंद्रों के पुन: खुलने के बाद प्रदर्शित तत्परता:* आंगनवाड़ी केंद्रों के दुबारा खुलने के बाद बच्चों के स्वागत करने के लिए कई तरह के कदम उठाए। सुरक्षात्मक कदम उठाए गए और ऐसी गतिविधियाँ आयोजित की गई ताकि बच्चे इस ओर आकर्षित हों और इस तरह उनकी पढ़ाई-लिखाई सुनिश्चित की जा सके। औसतन 60-65 प्रतिशत आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने बच्चों को वापस स्कूल लाने, उन्हें पका हुआ खाना देने पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसके अलावा बच्चों की स्वच्छता और आंगनवाड़ी केंद्रों (AWCs) की साफ़-सफ़ाई पर भी ध्यान दिया। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल खुलने के शुरुआती दौर में आंगनवाड़ी केंद्रों की साफ़ सफ़ाई की गयी। सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराया गया, पर एक सीमा के आगे छोटे बच्चों में वे इसे सुनिश्चित नहीं कर सकते थे।
- *स्कूलों में हक़दारी:* जिन सरकारी स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया उनमें बच्चों को कोविड महामारी से पहले पाठ्यपुस्तकों, स्कूल की पोशाक , मध्यान्ह भोजन आदि का वितरण स्कूलों ने किया था पर जब महामारी के कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया तो इनका वितरण अचानक रुक गया, सिर्फ मध्यान्ह भोजन ही जारी रहा और उस दौरान भी बच्चों को सूखा राशन ही दिया गया। स्कूल के दुबारा खुलने के बाद बच्चों को पका हुआ खाना दिया जाने लगा। कोविड से पहले स्कूलों में सैनिटरी पैड्स का वितरण होता था पर स्कूल खुलने के बाद अभी तक इसका वितरण दुबारा शुरू नहीं हुआ है।
- *स्कूल शिक्षकों की तत्परता:* स्कूलों के दुबारा खुलने पर बच्चों के स्वागत के लिए शिक्षकों ने सुरक्षात्मक कदमों की तैयारी की और स्कूलों में बच्चों का स्वागत शिक्षकों ने रंग-बिरंगे गुब्बारों से किया। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 80 प्रतिशत से ज़्यादा शिक्षकों ने बताया कि वे स्कूलों में नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रखने, मास्क के वितरण आदि में लगे हुए थे। 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों ने शारीरिक दूरी बनाए रखने के कार्य को सुनिश्चित किया और शुरुआत में एक दूसरे से शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को रोटेशन के आधार पर स्कूल आने को कहा गया।

C. सुझाव

I. नीति निर्माताओं के लिए

- *हाशिए पर मौजूद वर्ग की सामाजिक सुरक्षा:* लोगों को गरीबी से उबारने और उन्हें भारी कर्ज से मुक्त करने के लिए नीति निर्माताओं को हाशिए पर पड़े वर्गों को सामाजिक सहायता प्रदान करनी चाहिए और मनरेगा (MGNREGA) के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजित करने चाहिए।
- *बच्चों की सुरक्षा:* जहां भी जरूरी हो, सरकार को लाभ पैकेज दिए जाने संबंधी मानदंड में ढील देना चाहिए, लड़कियों के लिए ज़्यादा आवासीय सुविधाएँ बढ़ानी चाहिए और बाल शोषण, बाल मज़दूरी, मानव तस्करी और बाल विवाह के लिए ज़ीरो टॉलरन्स अपनानी चाहिए।
- *बच्चों की लाचारी पर रियल टाइम आंकड़े इकट्ठा करने पर निवेश :* महामारी के बाद ड्रॉप आउट और बाल शोषण, तस्करी, कम उम्र में शादी, बाल मज़दूरी आदि की घटनाएं बढ़ रही हैं। बच्चों की इन मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकार को बच्चों की लाचारी के बारे में सटीक डाटा इकट्ठा करने के लिए इसमें उचित निवेश करना चाहिये।
- *बच्चों को लेकर कोई हस्तक्षेप अधिकार आधारित, समावेशी और टिकाऊ होना चाहिए :* राज्य को यह ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी बच्चों की शिक्षा के अधिकार पर कोई ख़तरा पैदा नहीं हो और इसका का उल्लंघन न हो।
- *शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन :* नीति निर्धारकों के समक्ष शिक्षा के लिए फंड के अभाव और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नियमों और प्रावधानों को लागू करने के मुद्दे को उठाएँ।
- *सरकारी शिक्षा को मज़बूत बनाना :* सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत बनाए जाने की बात पर ज़ोर दें और इसको लेकर शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों के प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाओं और इन मुद्दों के आधार पर सरकार को प्राथमिकताओं का निर्धारण करना है।
- *ICT को एक टूल माना जाए न कि आमने-सामने की शिक्षा का स्थानापन्न :* प्रमाण के साथ इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में ICT आमने-सामने की शिक्षा का स्थानापन्न नहीं बने बल्कि अंतर को पाटने के लिए इसका एक टूल के रूप में प्रयोग हो।
- *सीखने की व्यापक परिभाषा :* महामारी ने बच्चों के सीखने के स्तर में पैदा हुए अंतर को उजागर किया है। सीखने की परिकल्पना को बच्चों के संपूर्ण विकास के साथ जोड़कर देखना चाहिए। यद्यपि इस बारे में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना (NCF) और शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम में प्रयास किया गया, पर अभी तक इस बारे में संपूर्ण रूप से कोई कदम नहीं उठाया गया है और अब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में संशोधन की ज़रूरत महसूस की जा रही है ताकि महामारी के दौरान जिन बातों का हमें पता चला उसके आलोक में सीखने के परिदृश्य को और व्यापक बनाया जा सके।

II.फ़ंडिंग एजेंसियों के लिए

- *बच्चों की लाचारी के अध्ययन के लिए फंड की व्यवस्था:* महामारी के बाद बच्चों के ड्रॉप आउट होने पर और बाल मज़दूरी, तस्करी, बाल शोषण, बाल विवाह आदि के बारे में भी वास्तविक समय का पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं है। बच्चों की मुश्किलों से संबंधित मुद्दों के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराए जाने की ज़रूरत है।
- *कोविड के प्रभावों पर शोध और हस्तक्षेप के लिए वित्तीय मदद :* डोनर संगठन उस शोध और हस्तक्षेप कार्य के लिए रकम दे सकते हैं जो इस बात की जाँच करने और उसके समाधान की कोशिश कर रही है कि कोविड के कारण बच्चों की शिक्षा में कौन सी मुश्किलें पैदा हुई हैं।

III. स्थानीय समुदाय के लिए

- *स्कूलों के सामुदायिक स्वामित्व की सोच को आगे बढ़ाना:* राजस्थान और कर्नाटक में पंचायतों, स्कूल प्रबंधन समितियों और समुदायों की सक्रिय सहभागिता की बात सामने आयी जबकि दूसरे राज्यों में यह व्यवस्था टूटती नज़र आयी। एक राज्य के सफल मॉडल को दूसरे राज्यों में अमल में लाना चाहिए।
- *PRIs और SMCs की सक्रिय भागीदारी :* पंचायतों और SMCs को स्कूलों को मज़बूत बनाने की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए और स्कूल विकास में उनके सकारात्मक योगदान के लिए उनको उचित प्रोत्साहन मिले।

IV. टाटा ट्रस्ट, फ़ील्ड स्टाफ़ और दूसरे गैर-सरकारी संगठनों के लिए

नीति निर्धारकों के लिए जिन सुझावों पर जोर दिया गया है उनको लागू करने पर टाटा ट्रस्ट, फ़ील्ड स्टाफ़ और दूसरे गैर-सरकारी संगठन, इनके बारे में एडवोकेसी करने जैसे कार्यों और इनके लिए सामुदायिक संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य कर सकते हैं। इस संबंध में उनकी गतिविधियों को लेकर जो विशेष सुझाव तैयार किए जा सकते हैं उन्हें टेबल- 1 में दिया गया है :

टेबल 1: टाटा ट्रस्ट और नीति निर्धारकों के लिए विशेष सुझाव				
	अमल (सेवा प्रावधान)/ जागरुकता पैदा करना	एडवोकेसी	क्षमता संवर्धन	शिक्षा में हस्तक्षेप पर नज़र रखनेवाले वॉच्डॉग के रूप में
हाशिए पर मौजूद वर्गों के लिए अतिरिक्त सामाजिक मदद का प्रावधान	● मुश्किल समय में आपातकालीन किट्स, खाद्य पदार्थ, सूखे राशन आदि की आपूर्ति	● सामाजिक सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने की ज़रूरत को लेकर एडवोकेसी	● आशा (ASHA), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, SHGs, समुदाय आदि का तत्काल मदद पहुँचाने के लिए क्षमता संवर्धन	● मुश्किल झेल रहे लोगों की सामाजिक सुरक्षा पर सर्वेक्षण
बच्चों की लाचारी और उन्हें दूर करने के मुद्दे से संबंधित रियल टाइम डाटा कलेक्शन	● बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल श्रम, आदि पर गाँव/ब्लॉक/ज़िला या जहां भी संभव हो, राज्य स्तर पर डाटा इकट्ठा करना ● लड़कियों और जिन बच्चों की विशेष मदद की ज़रूरत है उनकी शिक्षा के लिए जागरुकता पैदा करना और उनको सिखाने के लिए हस्तक्षेप करना	● बच्चे जिस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं उसके बारे में अद्यतन डाटा के अभाव के ख़िलाफ़ एडवोकेसी करना ● जिन बच्चों के मां या बाप में से किसी की कोविड के कारण मौत हो गयी है ऐसे बच्चों को कोविड राहत से बाहर रखने के ख़िलाफ़ एडवोकेसी करना	● प्रभावित बच्चों के लिए शिविर लगाना और उनकी काउंसेलिंग करना ताकि वे दुबारा स्कूल की मुख्यधारा में शामिल हो जाएं ● बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ काम भी कर सकें इसके लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना और उनके लिए उपचारी कक्षा आयोजित करना	● अगर बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल मज़दूरी, शोषण आदि के बारे में पता चलता है तो इसके बारे में आवाज़ उठाना ● आवासीय स्कूलों, शिविरों, घरों, स्कूलों आदि जगहों पर अगर बच्चों के साथ बदसलूकी की घटना का पता चालता है तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ● बच्चों को पेश आ रही मुश्किलों की निगरानी और उनको रोकने के लिए स्वयंसेवकों और समुदाय संयोजकों की मदद लेना
शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण और बुनियादी ढाँचा तैयार करने जैसी बातों के लिए सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत करना	● शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षण मोड्यूलों का पाठ्यक्रम तैयार करना ● महामारी के बाद स्कूल खुलने पर सरकारी स्कूलों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उनकी मदद करना ● सरकारी स्कूलों का बुनियादी ढाँचा तैयार करने में हस्तक्षेप के लिए संसाधन जुटाना	● शिक्षकों की भर्ती और शिक्षकों की गुणवत्ता को लेकर एडवोकेसी करना	● प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण ● शिक्षकों के प्रशिक्षण में पढ़ाने को लेकर बच्चों के जो भोगे हुए अनुभव रहे हैं उनको शामिल करना चाहिए ● निम्न मुद्दों पर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना : कोविड के बाद बच्चों के साथ कैसे पेश आएँ, बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक मदद, सिखाने का स्तर ऊँचा करना, बाल विकास आदि ● भविष्य में पैदा होने वाले मुश्किल हालात/स्कूलों के बंद होने की स्थिति से निपटने के बारे में शिक्षकों की तैयारी को लेकर प्रशिक्षण	● शिक्षकों की कमी के बारे में आवश्यकता के आकलन का अध्ययन ● कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए फंड की कमी पर पॉलिसी ब्रीफ़
किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए एक टूल के रूप में ICT को मान्यता न कि उसे आमने-सामने की शिक्षा का स्थानापन्न बना दिया जाए	● ऐसी जगह जहां बच्चों को डिजिटल एक्सेस उपलब्ध नहीं है वहाँ पर उनकी सुविधा के लिए ICT में अंतर को पाटना ● आमने-सामने की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक अध्ययन गतिविधियों को जारी रखना	● डिजिटल शिक्षा के लाभ और घाटे के बारे में पॉलिसी ब्रीफ़ के माध्यम से एडवोकेसी	● शिक्षा के लिए एक टूल के रूप में ICT के प्रयोग को लेकर शिक्षकों का क्षमता संवर्धन ● बच्चों में मोबाइल की लत से निपटने के लिए बच्चों के साथ काउंसेलिंग सत्र का आयोजन	● ICT के समझदारी भरे प्रयोग पर शिक्षा संबंधी हितधारकों के साथ बातचीत और विचार-विमर्श

बच्चों को शिक्षा के अधिकार सुनिश्चित किए जाएँ और इस बारे में समावेशी कदम उठाए जाएं	बचपन पूर्व शिक्षा ● महामारी के बाद स्कूल खुलने पर स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति नियमित हो और उन्हें स्कूल भेजने की ज़रूरत के बारे में अभिभावकों में ज़ारूकता पैदा करने का अभियान चलाना ● आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषक आहार और सप्लिमेंट्स की आपूर्ति नियमित रूप से जारी रहे यह सुनिश्चित करना	● उस समय एडवोकेसी करना जब बच्चों को (पोषक आहार) भोजन और शिक्षा के अधिकार नहीं सुनिश्चित किए जा रहे हैं	● स्कूलों के दुबारा खुलने के चरण में बच्चों के साथ कैसे पेश आया जाए इस पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों का क्षमता संवर्धन ● आंगनवाड़ी शिक्षकों को उनकी ज़रूरत को पूरा करने में हाथ बँटाना	● आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्य-कलापों की निगरानी
	स्कूली शिक्षा ● स्कूल दुबारा खुलने पर बच्चों को स्कूल भेजने की ज़रूरत और स्कूल में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के मुद्दे पर अभिभावकों के साथ जागरुकता अभियान चलाना ● स्कूलों में बच्चों को MDM/सूखा राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ● आवासीय पॉकेट्स, प्रवासी परिवारों के बच्चों, स्कूलों के ड्रॉप आउट कर जानेवाले बच्चों आदि (जो सरकार की पहुँच के बाहर थे) जिन तक पहुँच बनाना मुश्किल है, के लिए शैक्षिक हस्तक्षेप ● उच्चतर माध्यमिक स्तर तक छात्रों के पहुँचने और इसे पूरा करने की दर पर नज़र रखना और ड्रॉप आउट करनेवाले या काम करनेवाले छात्रों के लिए योजना बनाना और उसे लागू करना ● बच्चों पर स्कूलों के बंद रहने के कारण हुए मानसिक असर को लेकर अभिभावकों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाना ● बच्चों के भोगे हुए अनुभवों को NGOs के हस्तक्षेप में शामिल किया जाना चाहिए – जैसे काम करनेवाले बच्चों के लिए सीखने का अलग समय; जिन बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी ख़त्म हो गयी है उनके लिए सीखने की अलग रणनीति अपनाना; घर पर जिन बच्चों को हिंसा या गुस्से का सामना करना पड़ता है उनके साथ बातचीत करना, संवाद का सत्र आयोजित करना।	● RTE नियमों और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फंड की कमी को लेकर एडवोकेसी करना ● जब बच्चों को MDM/सूखा राशन और शिक्षा सुनिश्चित नहीं किया जाता हो तब एडवोकेसी करना	● महामारी के बाद स्कूलों के दुबारा खुलने पर बच्चों के साथ कैसे पेश आया जाए इस मुद्दे पर शिक्षकों का क्षमता संवर्धन करना ● अगर शिक्षकों को मदद की ज़रूरत है तो उन्हें मदद पहुँचाना	● स्कूलों के कामकाज की निगरानी करना
सीखने की परिभाषा का विस्तार करना और सीखने के बारे में हस्तक्षेप की योजना बनाना और उसे लागू करना	● बच्चों की समग्र सिखाई पर शिक्षकों के लिए टूलकिट्स विकसित करना ● सिखाई संबंधी हस्तक्षेप ताकि ख़ासकर कक्षा तीन से पाँच तक के बच्चों में सिखाई के अंतर को दूर किया जा सके	● समग्र सिखाई के मुद्दे पर सांसदों, NGOs, अकादमिकों आदि से बातचीत और चर्चा करना	● बच्चों की समग्र सिखाई पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना	● पॉलिसी ब्रीफ़ और फ़ील्ड सर्वेक्षणों के माध्यम से सिखाई की संकीर्ण परिभाषा को उजागर करना

नोट: जो विशिष्ट सुझाव दिए गए हैं वे संकेतात्मक हैं। टाटा ट्रस्ट को जो विशेषज्ञता हासिल है उसके आधार पर ज़्यादा विशिष्ट गतिविधियों की योजना तैयार की जा सकती है।